(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 2718–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.07.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 360/अपील/2015–16

---

1. श्रीमती पार्वती बाई बेवा नारायण सिंह
   जाति मैना, निवासी– ग्राम धतूरिया चौबीसा
   तहसील गुलाबगंध, जिला विदिशा (म.प्र.)
2. श्रीमती रामश्रीबाई पुत्री स्व. नारायण सिंह
   पत्नी श्री जवाहर सिंह जाति मैना
   निवासी ग्राम टीलाखेडी जिला विदिशा .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. देववृत नाबा पुत्र कडोरी सिंह
   जाति मैना, निवासी– ग्राम धतूरिया चौबीसा
   तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा
2. आदित्य नाबा, पुत्र हृदयमोहन
   सर. पिता स्वयं हृदयमोहन पिता परसराम मैना
   निवासीगण ग्राम धतूरिया चौबीसा,
   तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश सक्सैना

अनावेदक क. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर अना0 क. 2 एकपक्षीय है।

आदेश

(आज दिनांक 17/1/18 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 360/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2016 के विरुद्ध म.प्र.

भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नामांतरण पंजी क. 11 आदेश दिनांक 27.09.2006 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 23.07.2015 को अपील पेश की गई। जिसमें उन्होंने दिनांक 15.03.2016 का आदेश पारित करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश खारिज किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हें कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह गलत है क्योंकि संहिता की धारा 178(क) के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में भूमि दे सकता है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 178 के अनुसार संशोधन पंजीपर आदेश पारित नहीं किया जा सकता इस कारण भी अपर आयुक्त का आदेश गलत है।

4/ अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ताओं को प्रकरण में सुनवाई दिनांक 13–10–17 को 10 दिवस में लिखित बहस पेश करने हेतु समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है । उन्होंने यह पाया है कि विवादित भूमि पूर्व में नारायणसिंह मैना के नाम से रही है, जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि का विभाजन कर लिया था जिसके आधार पर अनावेदकों का नामांतरण हुआ और उसकी जानकारी नारायणसिंह को थी जिनके हस्ताक्षर पंजी पर

हैं। नारायणसिंह का स्वर्गवास 11.3.15 को हुआ है। नारायण सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति नहीं की गई और ना ही कोई लिखतम या वसीयत आदि किसी के पक्ष में की गई। उन्होंने आदेश में यह भी उल्लेख कियाहै कि शेष बची भूमि का विक्रय नारायण सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में संध्या पत्नी रामराजसिंह मीणा एवं रामराजसिंह मीणा पुत्र रामचरण सिंह मीणा को 6.9.10 को किया गया है। उक्त कारणों से अपर आयुक्त ने यह मानते हुए कि नारायणसिंह की स्वीकृति के पश्चात आवेदकों को कोई अधिकारिता नहीं रह जाती है क्योंकि वे तहसील न्यायालय में हुए नामांतरण प्रकरण में पक्षकार नहीं था। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में न्यायदृष्टांत 1980 आर. एन. 61 एवं 104 में प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में जो आदेश पारित किया है वह उचित है। व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने और उसमें स्थगन न होने के कारण कार्यवाही न रोकी जाने के संबंध में अपर आयुक्त ने जो निष्कर्ष निकाला है वह भी उचित है। चूंकि उभयपक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है और उसमें जो निर्णय होगा वह पक्षकारों के साथ–साथ राजस्व न्यायालयों पर भी बंधनकारी होगा और राजस्व न्यायालयों द्वारा उस अनुसार कार्यवाही की जायेगी। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर